Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 110-2016/Ext] CHANDIGARH, WEDNESDAY, JULY 20, 2016 (ASADHA 29, 1938 SAKA)

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(POLITICAL BRANCH)

Notification

The 20th July, 2016.

No. 40/9/96-4Pol.— In exercise of the powers contained in section 3 of the Haryana Lokayukta Act, 2002 (Haryana Act No. 1 of 2003), the Governor of Haryana hereby appoints Mr. Justice Nawal Kishore Agarwal (Retd.) as Lokayukta, Haryana with effect from 19.07.2016 (Afternoon).

D. S. DHESI,
Chief Secretary to Government, Haryana.

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 जुलाई, 2016

संख्या 2/29/2016–आर०–II.— हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 398 (2) (a) तथा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 250 (a) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, आवासीय क्षेत्रों में संचालित उद्योगों को स्थानान्तरित करने के लिए निम्नलिखित पुनः अवस्थापन पॉलिसी आम जनता की सूचना के लिए निर्दिष्ट करते हैं ।

1. प्रस्तावना/भूमिका :

पुनः अवस्थापन पॉलिसी की सूत्रीकरण (प्रतिपादन) माननीय उच्च न्यायालय के सिविल रिट पटीशन संख्या 11226 ऑफ 2013 (ओ० एंड एम०) नामतः प्रोग्रेस इन्डस्ट्रीज बनाम हरियाणा राज्य तथा अन्य के आदेशों के परिणामस्वरूप अनिवार्य बन गया है। न्यायालय ने आवासीय क्षेत्रों में संचालित औद्योगिक इकाइयों को स्थानान्तरित करने के लिए पॉलिसी बनाने हेतु राज्य को निर्देश जारी किये हैं।

2. उच्च न्यायालय के आदेश का प्रभावी भाग :

अन्य सिविल रिट पटीशन संख्या 13134 से 13140/2013 के साथ–2 उपरोक्त वर्णित सिविल रिट पटीशन एक सामूहिक निर्णय द्वारा नामतः सिविल रिट पटीशन संख्या 11226/2013 (ओ० एंड एम०) नामतः प्रोग्रेस इन्डस्ट्रीज बनाम हरियाणा राज्य तथा अन्य दिनांक 09.07.2014 को सुनवाई तथा निपटान के लिए इकट्ठी सूचीबद्ध थी। याचिका दाता (याचिकादाताओं) द्वारा की गई उपरोक्त वर्णित सभी आठ रिट पटीशन प्रतिवादियों (संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, बल्लभगढ तथा फरीदाबाद) द्वारा कारखानों की बन्दी के कारण इस आधार पर उत्पन्न हुई कि वे अधिसूचित आवासीय क्षेत्र स्थानों में चल रहे थे तथा ऐसी औद्योगिक गतिविधियां अधिसूचित जोनिंग/मास्टर प्लॉन योजना के उल्लंघन में अनुमत नहीं की जा सकती।

उपरोक्त के अतिरिक्त, आवासीय क्षेत्र से ऐसी इकाइयों को स्थानान्तरित करने के लिए पॉलिसी बनाने के सम्बन्ध में प्रार्थना भी थी। यह महसूस किया गया था कि इसकी कुल मिलाकर न केवल लोक हित में समय की घोर आवश्यकता थी, बल्कि औद्योगिक इकाइयों के हित में भी थी तथा इसके अतिरिक्त, यह अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाएगी। इसलिए, यह निर्देशित किया गया था कि सरकार सम्यक प्रचार देने के बाद तथा सभी सम्बन्धित को सुनवाई के बाद आवश्यक कार्रवाई करें।

न्यायालय के आदेश का प्रथम भाग आवासीय क्षेत्रों में से निर्माण इकाइयों को स्थानांतरित करने से सम्बन्ध रखता है यदि वे नगरपालिका समिति अधिनियम के अधीन अनुज्ञात नहीं है तथा नगरपालिका विधियों का उल्लंघन करती है। माननीय उच्च न्यायालय के अधिदेशाधीन है कि नगरपालिका सीमाओं के आवासीय क्षेत्रों में संचालित निर्माण इकाइयों का गैर–विभेदकारी उपचार होना चाहिए। इसलिए, पॉलिसी में सभी समरूप स्थित मामलों को एक समान लागू करने की आवश्यकता है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का दूसरा भाग हानिकर तथा खतरनाक उद्योगों विशेष रूप से प्रदूषण करने वाली इकाईयों को चलाना निर्दिष्ट करता है। पॉलिसी बनाने के प्रयोजन के लिए सिफारिशें सहित दोनों पर विचार किया गया है।

3. समिति का गठन :

आदेश दिनांक 24.02.2015 के अनुसरण में, श्री दीपीन्द्र सिंह ढेसी, मुख्य सचिव, हरियाणा तथा श्री एस.एन. राय, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने आश्वासित किया कि वे सम्पूर्ण हरियाणा राज्य के लिए पॉलिसी बनाने का प्रयास करेंगे तथा वे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों तथा उनके प्रवर्गों की पहचान करने के लिए निदेर्शित भी करेंगे। उन्होंने उच्च न्यायालय को आश्वासित किया कि अपेक्षित पॉलिसी चार मास के भीतर बनाई जाएगी। न्यायालय में श्री राय द्वारा दायर शपथ पत्र को रिकार्ड पर लिया गया।

आवासीय क्षेत्रों से उद्योगों को स्थानांतरित करने के लिए राज्य स्तरीय पॉलिसी बनाने के बाद विभिन्न विभागों को मिलाकर एक मुख्य पॉलिसी निर्णय किया गया है इसलिए मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ने पॉलिसी को सूत्रबद्ध करने के लिए निम्नलिखित समिति के गठन का अनुमोदन किया :–

1.	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, उद्योग विभाग	अध्यक्ष
2.	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग	सदस्य
3.	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग	सदस्य
4.	महानिदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा	सदस्य
5.	मुख्य प्रशासक, हुडा	सदस्य
6.	प्रबन्धक निदेशक, एच.एस.आई.आई.डी.सी.	सदस्य
7.	निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा	सदस्य
8.	आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद	सदस्य
9.	आयुक्त, नगर निगम, गुड़गांव	सदस्य

समिति के लिए पॉलिसी का सूत्रबद्ध करना अपेक्षित था तथा सुनवाई की आगामी तिथि से पूर्व उसे अधिसूचिवत करना भी अपेक्षित था, जो कि 15.07.2015 थी।

समिति ने अपनी प्रथम बैठक में अवलोकित किया है कि आवासीय क्षेत्रो से औद्योगिक इकाइयों के पुनःस्थापन के समरूप अभ्यास को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आगामी आदेश से दिल्ली राज्य द्वारा लागू किया गया था। दिल्ली की पॉलिसी, चूंकि इसे भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था, को हरियाणा राज्य के लिए पॉलिसी को तैयार करने हेतु संदर्भ दस्तावेज के रूप में लिया गया।

4. दिल्ली में उद्योग का पुनः स्थापन :

उच्चतम न्यायालय आदेश से उत्पन्न समरूप अभ्यास को दिल्ली के राजधानी शहर में लागू किया गया था, जहां लगभग 1,29,000 इकाइयां थी जिसमें लगभग 14,40,000 कर्मकार नियोजित थे, को आवासीय क्षेत्रों से पुनः स्थापन के लिए परिलक्षित की गई थी। समिति ने निर्णय किया कि दिल्ली के मामले का कुछ विस्तार से अध्ययन करना शिक्षाप्रद तथा लाभदायक होगा तथा तात्कालिक मामले में पॉलिसी सिफारिश करने के प्रयोजन के लिए उससे शिक्षा प्राप्त होगी विशेषतः इस तथ्य के दृष्टिगत कि देश के उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के मामले में पॉलिसी निर्धारण को देखा था तथा अनुसमर्थित किया था।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने आवासीय/अननुरूप क्षेत्रों में दिल्ली में अप्राधिकृत औद्योगिक गतिविधियों की बन्दी/हटाने के मामले में दिये गये निर्णय दिनांक 7 मई, 2004 द्वारा सिविल पटीशन (सिविल) नम्बर 4677/1985 नामतः एन.सी. मेहरा बनाम भारत संघ तथा अन्य में कतिपय निर्देश पारित किये थे जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामित था:

4.1 सभी औद्योगिक इकाई जो प्रथम अगस्त, 1990 को या उसके बाद दिल्ली में आवासीय/अननुरूप क्षेत्रों में स्थापित की गई है, को निम्नलिखित सूची के अनुसार उनके संचालन पर रोक तथा उन्हें बन्द किया जायेगा ;

4.1.1 व्यापक (व्यापक उद्योगों को ''च'' प्रवर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है, व्यापक उद्योगों में आटो पार्ट, कास्टिंग, एसिड, कैमिकल, रंग, वार्निश इत्यादि शामिल है) उद्योगों से सम्बन्धित औद्योगिक इकाइयां चार मास की अवधि के भीतर;

4.1.2 हल्के तथा सर्विस उद्योगों से सम्बन्धित औद्योगिक इकाइयां पांच मास के भीतर;

4.1.4 औद्योगिक प्लॉटों के आबंटन के लिए प्रतीक्षा सूची की 6000 औद्योगिक इकाइयां 18 महीनों के भीतर;

4.1.5 घरेलू इकाइयां जो संलग्न सूची के अनुसार वर्गीकृत की गई है आवासीय क्षेत्रों से निरन्तर चलाई जा सकती है;

दिल्ली के मामले में, 122 घरेलू औद्योगिक गतिविधियों को सम्बन्धित प्राधिकारी से आवश्यक लाईसेंस प्राप्त करने के बाद आवासीय क्षेत्रों में चलाने के लिए अनुज्ञात की गई थी।

5. परामर्श समिति – हितधारक टिप्पणी :

न्यायालय के आदेश की अनुपालना में पॉलिसी के सूत्रीकरण के प्रयोजन के लिए एक समिति गठित की गई थी तथा विभिन्न विशेषत्रों तथा पणधारियों/हितधारक से विचार–विमर्श के बाद समस्या को सम्बोधित करने का प्रयास किया गया। माननीय न्यायालय के आदेश के भाव को ध्यान में रखते हुए, प्रधान सचिव, उद्योग की अध्यक्षता में बनाई गई समिति प्रत्येक 15 दिन में बैठक करती है तथा विवेकपूर्ण तथा व्यावहारिक रूप से लागू करने योग्य पॉलिसी को सूत्रबद्ध करने के लिए व्यापक सलाहकार सत्र आयोजित करती है। उद्योगों को हटाने तथा पुनः स्थापन के बारे में विविध दृष्टिकोणों पर विचार करने के लिए चण्डीगढ़ तथा दिल्ली में विभिन्न पणधारियों/हितधारक के साथ कुल सात बैठकें की गई थी।

6. औद्योगिक संघों के प्रतिवेदन :–

जगाधरी के औद्योगिक संघ ने वर्ष 2000 में तथा उसके बाद वर्ष 2005 में जगाधरी नगर की औद्योगिक गतिविधियों की विशिष्ट प्रकृति को मान्यता प्रदान करने के लिए निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग को प्रतिवेदन दिए थे। प्रारूप विकास योजना के प्रकाशन के दौरान, विभाग ने औद्योगिक नगर के रूप में नगर को घोषित करने का अनुरोध किया था तथा विनिर्माण इकाइयों के लिए बृहत भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान की गई या/आबंटित किये गये थे तथा औद्योगिक जोन के रूप में कतिपय उद्योग अधिकृत क्षेत्र घोषित किया गया था, जैसा कि मुख्य औद्योगिक गतिविधियां उन क्षेत्रों में चालू थी तथा आवासीय तथा औद्योगिक गतिविधि क्षेत्रों के बीच विभेद करना सम्भव नहीं था, जैसा कि दोनों सहअस्तित्व में थी।

6.1 जगाधरी घातु संघ के साथ विचार–विमर्श :–

विचार–विमर्श के दौरान, औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि मोटे तौर पर सहमत हुए कि लाल प्रवर्ग के अधीन आने वाली औद्योगिक इकाइयों को आवासीय क्षेत्र में बन्द कर दिया जाना चाहिए या हटा दिया जाना चाहिए। नारंगी प्रवर्ग के अधीन आने वाली इकाइयों को हरियाणा राज्य के नियमों तथा प्रक्रिया तथा शर्तों, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के जल तथा वायु तथा राज्य सरकार के अन्य प्राधिकरणों की अनुपालना के अध्यधीन चालू रखने के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए। हरे प्रवर्ग के अधीन आने वाली इकाइयों को न्यायालय आदेश के अनुसार हटाने से छूट देनी चाहिए। उद्योग प्रतिनिधियों के विचार थे कि औद्योगिक क्षेत्र जिसमें औद्योगिक इकाइयों ने 70 प्रतिशत से अधिक भौतिक/भौगोलिक क्षेत्र का अधिभोग किया है, (अर्थात् फरीदाबाद में ऐसे औद्योगिक अधिकृत क्षेत्रों की संख्या है) को औद्योगिक जोन स्वस्थान के रूप में घोषित करना चाहिए/विचारा जाना चाहिए।

7. अन्तर विभागीय परामर्श :–

अन्तर विभागीय परामर्श श्रम विभाग, हुडा, शहरी स्थानीय निकाय तथा नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग के साथ किया गया था तथा उद्योग विभाग की प्रतिकूल टिप्पणी के साथ उसकी टिप्पणियां अनुबंध ''क'' पर दी गई हैं।

8. पॉलिसी सिफारिश :

आवासीय क्षेत्रों में कार्य कर रही औद्योगिक इकाइयों के पुनः स्थापन के बारे में निम्नलिखित मानकों का पालन किया जाऐगा :

8.1 औद्योगिक गतिविधियों/उपयोग के अधीन समूह के भीतर 70 प्रतिशत से अधिक प्लाटिड भौगोलिक क्षेत्र वाली विकास योजनाओं में ''आवासीय क्षेत्र'' के रूप में चित्रित नियन्त्रित क्षेत्र पाकेट के औद्योगिक संकेन्द्रण के समूह को अधिनियम के अधीन विहित सम्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए विकास योजना के पुनरीक्षण के बाद वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर नियमन के लिए विचारा जायेगा।

8.2 विकास योजना को संशोधित करने तथा बदलने से पूर्व ऐसी स्थिति में कड़ाई से पालन किये जाने के लिए आवश्यक प्रारूप पर आम जनता से टिप्पणी मांगते हुए विकास योजना का पुनरीक्षण करने से पूर्व सम्यक प्रक्रिया का कर्मिष्ठ रूप से पालन किया जायेगा।

8.3 यदि भूमि उपयोग तथा विकास योजना को संशोधित करने, फीस को प्रमाणित करने, जोनिंग इत्यादि का निर्धारण के सम्बन्ध में आवश्यक उपबन्ध करने के लिए किये गये निर्णय को तदानुसार अधिदेशाधीन किया जाना आवश्यक है।

8.4 कुछ विभाग अर्थात् शहरी स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम आयोजना तथा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड आवासीय क्षेत्र में संचालित औद्योगिक कालोनियों के नियमन के विचार का विरोध किया है, सचेतन विचार को लिया जाना आवश्यक है कि क्या सामूहिक रूप से औद्योगिक इकाइयों की बहुत बड़ी संख्या के ऐसे हटाने से बृहत लोक हित के लिए लाभदायक होगा या विकास योजना को संशोधित करते हुए सुरक्षित रखे जायें, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में, जहाँ वर्तमान विद्यमान भूमि उपयोग भूमि का वास्तविक सर्वेक्षण करने के बाद (भूमि सही करने का अभ्यास) अवधारित किया गया है तथा उपरोक्त यथा वर्णित औद्योगिक को उत्कृष्ट रूप से पाया गया है, यद्यपि क्षेत्र को आवासीय के रूप में ईयरमार्क किया गया है।

8.5 पुनः स्थापन के प्रयोजनों के लिए प्रवर्गीकरण :–

पुनः स्थापन के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित प्रवर्गीकरण केवल औद्योगिक इकाइयों के लिए होगा (विनिर्माण उद्योगों के लिए)।

8.5.1 लाल प्रवर्ग उद्योग – छह मास का समय उन्हें देते हुए तुरन्त प्रभाव से बदले जाने हैं।

8.5.2 नारंगी प्रवर्ग उद्योग – लाल प्रवर्ग के मामले के रूप में तुरन्त प्रभाव से बदले जाने हैं, किन्तु यदि ये इकाइयां प्रदूषण नियन्त्रण मानकों का अनुपालन करते हैं, तो उन्हें अनुरूप क्षेत्रों में बदलने हेतु दो वर्ष का समय दिया जा सकता है।

8.5.3 हरे प्रवर्ग उद्योग – इन इकाइयों को प्रदूषण नियन्त्रण विभाग के विद्यमान उपबन्धों तथा मानकों तथा सम्बन्धित प्राधिकरणों से सम्बन्धित अनुमोदनों के अनुसार निरन्तर विचार किया जा सकता है।

8.5.4 घरेलू इकाइयां – विनिर्माण गतिविधियों की संलग्न सूची को आवासीय क्षेत्रों में निरन्तर चलाई जा सकती है बशर्ते वे हुडा सैक्टरों में या अन्य योजनाबद्ध तथा अनुमोदित आवासीय कालोनियों में न चलाई जा रही हों।

8.5.5 प्रदूषण नियन्त्रण विभाग से समाशोधन वाले केवल गैर–खतरनाक तथा हानिकर उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों में चलाने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।

8.6 अनुरूप औद्योगिक जोन में उद्योगों को हटाने के लिए सरलीकरण :–

राज्य सरकार अनुरूप क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को बदलने/पुनःस्थापन को सरल करेगी। औद्योगिक जोन स्थल की कमी के मामले में अतिरिक्त जोनों को उद्योग विभाग के परामर्श से उनके सम्बन्धित अधिदेशाधीन के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग/शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा परिलक्षित तथा अधिसूचित किया जायेगा। तदानुसार वर्तमान/नई विकास योजनाओं को नक्शें पर चिन्हित किया जायेगा तथा निर्दिष्ट औद्योगिक जोनों को विनिर्माण के नए हब के रूप में निर्धारित किया जायेगा।

8.6.1 आवासीय क्षेत्रों से उद्योग को स्थानांतरित करने के जनसांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक संघटन को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध किया गया है किन्तु समयबद्ध स्थानांतरण योजनाबद्ध है।

8.6.2 राज्य उद्योगों के लिए जोनों तथा क्षेत्रों को परिलक्षित तथा अधिसूचित करेगा।

8.6.3 राज्य अनुरूप जोनों में उद्योग को व्यापक स्केल पर बदलने तथा पुनः स्थापन के लिए भूमि उपयोग के परिवर्तन को सरल करेगा। नई हरियाणा उद्यम उन्नति पॉलिसी, 2015 उद्योगों की स्थापना के प्रयोजन के लिए 31 ब्लाकों को कोई सी.एल.यू. जोन के रूप में तथा 75 ब्लाकों को आटो सी.एल.यू. जोन के रूप में विचार करती है। पॉलिसी के इन उपबन्धों को आवासीय क्षेत्रों में से इकाइयों को बदलने के लिए लाभदायक रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है।

8.6.4 आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी अप–ग्रेडेशन प्रोत्साहित भी करेगा तथा प्रेरणादायक भी होगा।

8.6.5 नई उद्यम पॉलिसी में यथा उपबन्धित अभिग्रहण हरी तथा स्वच्छ प्रोद्योगिकी प्रेरणादायक होगी।

8.6.6 प्रदूषण नियन्त्रण के सम्बन्ध में लागू मानक लागू किये जाएंगे।

8.6.7 भूमि उपयोग मानकों के अननुरूप औद्योगिक इकाइयों को बदलने तथा पुनः स्थापन के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन तथा अन्य उपाय नई उद्यम उन्नति पॉलिसी के उपबन्धों के अनुसार मुहैया कराए जाएंगे।

8.6.8 आवासीय क्षेत्र में चलाए जा रहे बहुत छोटे उद्योग, जो गैर–खतरनाक तथा कुटीर उद्योग समाज के गरीब/निम्न मध्यम वर्ग की पारिवारिक आय बढ़ाने से सम्बन्धित है, परिलक्षित किये जाएंगे तथा चलाने के लिए अनुज्ञात किये जाएंगे।

9. आगामी योजना तथा निर्धारण :

9.1 समूह आधारित औद्योगिक अवसंरचना को प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट उपाय करना।

9.2 प्रदूषण मानकों को आवासीय क्षेत्रों में कड़ाई से लागू किया जाएगा। बहिःस्त्राव, वायु तथा शोर प्रदूषण के लिए शून्य सहनशीलता लागू किया जायेगा।

9.3 ऐसे गैर–अनुरूपता की पुनः प्राप्ति को रोकने के उद्देश्य से ईएम–2 से सम्बन्धित भू–संदर्भित स्मार्ट कार्ड को प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज बनाया जाएगा। इन कार्डों को पी.पी.पी. ढंग पर प्रभार योग्य आधार पर पैनलित अभिकरणों द्वारा बनाया जाएगा। एम.एस.एस.ई. मंत्रालय द्वारा यू.ए.एम. (उद्योग आधार ज्ञापन) का नूतन प्रवेश इस प्रयोजन के लिए भी अपनाया जा सकता है।

10. कार्यान्वयन तथा निगरानी :–

चूंकि, इस पॉलिसी द्वारा संघटित बहुत सी इकाईयां राज्य के विभिन्न नगरों की नगरपालिका सीमाओं के भीतर अवस्थित है, जिले के आवासीय क्षेत्र में पहले से ही चलाए जा रहे उद्योगों के पुनः स्थापन के लिए पॉलिसी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, आयुक्त, नगर निगम की अध्यक्षता में एक समिति तथा जहां नगर निगम विद्यमान नहीं है, तो उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी :–

1.	आयुक्त, नगर निगम/उपायुक्त	अध्यक्ष
2.	सम्बन्धित जिले का जिला नगर योजनाकार	सदस्य
3.	सम्बन्धित जिले का सम्पदा अधिकारी, हुडा	सदस्य
4.	सम्बन्धित जिले के एच.एस.आई.आई.डी.सी. का सम्पदा अधिकारी	सदस्य
5.	सम्बन्धित जिले का सचिव, नगरपालिका समिति	सदस्य
6.	सम्बन्धित जिले का आर.ओ., प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
7.	सम्बन्धित जिले का संयुक्त/उपनिदेशक/डी.आई.सी.	सदस्य सचिव

10.1 मानीटरिंग रचना तन्त्र यह सुनिश्चित करने के लिए स्थान में रखा गया कि पुनः स्थापन पॉलिसी को सही रूप से लागू किया गया है।

11. पूर्व अनुमति का प्रतिसंहरण करना :–

लाल तथा नारंगी इकाइयों के लिए विनिर्माण/कारोबार करने के प्रयोजन के लिए सभी अन्य अनुमति, लाईसेंस, सहमति इस पॉलिसी की अधिसूचना की तिथि से प्रारम्भ पैरा 8.5.1 तथा 8.5.2 में वर्णित अवधि की समाप्ति की सम्बन्धित तिथि से प्रतिसंहरण होगी।

12. घरेलू उद्योग :–

परम्परागत घरेलू उद्योग जो पुराने नगरों के आवासीय क्षेत्रों, नगरपालिका समिति की सीमाओं के भीतर चलाई जा रही है। तथापि, वह हुडा तथा अन्य योजनाबद्ध तथा अनुमोदित आवासीय कालोनियों में लागू नहीं होगी जैसा कि वे उनके अपने अधिनियमों, नियमों तथा उप–विधियों द्वारा शासित होती हैं। घरेलू उद्योगों की सूची तथा अनुज्ञेय गतिविधियां दर्शाने वाली सूची तथा उद्योगों की नकारात्मक सूची इसके साथ संलग्न है।

प्रारूप पुनः स्थापन पॉलिसी	संबंधित विभाग की टिप्पणी	उद्योग विभाग की टिप्पणी
कारखानों के रजिस्ट्रेशन तथा लाईसेंसिंग से संबंधित श्रम के रजिस्ट्रेशन तथा लाईसेंसिंग से संबंधित श्रम विभाग के नियम	**श्रम विभाग, हरियाणा** यह प्रस्तुत किया जाता है कि कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन, आवासीय क्षेत्र में कारखाने का अवस्थापन स्वाभाविक जोखिम के कारण आपत्तिजनक है तथा तदानुसार उक्त अधिनियम की धारा 6(1) (क) के साथ पठित इसके अधीन बनाए गए नियमों के नियम 3 के अधीन स्थल जिस पर कारखाना स्थित किया जाता है, के लिए राज्य सरकार का मुख्य निरीक्षक की लिखित में पूर्व अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य है। नियम का संबंधित भाग सुविधा के लिए नीचे पुनः दोहराया जाता है:– धारा 6(1)– कारखानों का अनुमोदन, लाईसेंस तथा रजिस्ट्रेशन–	श्रम विभाग पुनः स्थापन पालिसी के उपबन्धों से सहमति में है ।

प्रारूप पुनः स्थापन पॉलिसी	संबंधित विभाग की टिप्पणी	उद्योग विभाग की टिप्पणी
	(1) राज्य सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बना सकती है :– (क) स्थल जिस पर कारखाना स्थित किया जाना है, के लिए तथा किसी कारखाने या कारखानों के वर्ग या किस्म के निर्माण या विस्तार के लिए राज्य सरकार का मुख्य निरीक्षक की लिखित में पूर्व अनुमति की अपेक्षा करने के लिए । नियम–3 कारखानों की योजना की प्रस्तुति धारा 6 (1) राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक अधिनियम के प्रयोजन के लिए अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि को प्रस्तुति की अपेक्षा कर सकती है/कर सकता है या जो उस समय तक निर्मित या विस्तारित नहीं किया गया है । उपरोक्त कथित कानून के उपबन्धों के दृष्टिगत, विभाग सक्षम प्राधिकारी (स्थानीय प्राधिकारी) से भूमि की केवल एलओसी/ सीएलयू/ आबंटन की प्रस्तुति पर रजिस्ट्रेशन तथा लाईसेंसिंग अनुज्ञात करता है। इसलिए, विभाग प्रारूप पालिसी के उपबन्धों से बहुत अधिक सहमति में है कि आवासीय क्षेत्रों के उद्योगों को कानून की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए ढांचागत रीति में बदला जाना चाहिए ।	
प्रस्तावित पुनः स्थापन पालिसी का अध्याय **10.1**	हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण (हुडा) यह सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय में इस कार्यालय के यादी क्रमांक ए–4(वीकेएस) यूबी–2015/ 13058, दिनांक 13.7.2015 द्वारा आपके कार्यालय को पहले ही सूचित कर दिया गया है कि यह कार्यालय प्रारूप पालिसी में किए गए उपबन्धों से सहमत है जैसा कि मुख्य रूप से मामला यूएलबी तथा नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से सम्बन्ध रखता है। इसके अतिरिक्त, प्रारूप पालिसी के अध्याय 10.1 के अधीन यह पहले ही वर्णित किया गया है कि कोई भी अन्य गतिविधि हुडा अधिनियम में अनुज्ञात गतिविधियों से भिन्न हुडा सैक्टरों में अनुज्ञात न की जाएं ।	हुडा पुनः स्थापन पालिसी के उपबन्धों की सहमति में है ।
अध्याय 10 नियन्त्रित क्षेत्रों में औद्योगिक सैकेन्द्रण के समूहों के विनियम	शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा; प्रारूप पुनः स्थापन पालिसी की जांच हो गई है। यह विभाग प्रारूप पालिसी में किए गए प्रस्तावों सहमत है ।	कोई टिप्पणी नहीं
अध्याय 8.3 उद्योग जो निकटतम स्थानीय क्षेत्र को खपत के लिए विनिर्माण करते हैं लगातार चलाए जा सकते हैं जिसमें कोई ठोस ईंधन प्रयोग न किया जाता है ।	नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग; उद्योग जो निकटतम स्थानीय क्षेत्र (केवल स्थानीय सेवा उद्योग जैसे कि आटा चक्की, बेकरी, वाहन मरम्मत दुकान) की खपत के लिए विनिर्माण करते है निरन्तर चलाए जा सकते हैं, बशर्ते कि उनमें ठोस ईंधन प्रयोग न किया जाता हो ।	**टिप्पणी** प्रस्तावित पुनः स्थापन पालिसी के उपबन्धों तथा घरेलू उद्योगों की सम्पूर्ण सूचि से सहमति में है।

प्रारूप पुनः स्थापन पॉलिसी	संबंधित विभाग की टिप्पणी	उद्योग विभाग की टिप्पणी
अध्याय 10.1 नियन्त्रित क्षेत्रों में औद्योगिक सैकेन्द्रण के समूहों के विनियमनः— औद्योगिक गतिविधि/प्रयोग के अधीन समूहों में 70 प्रतिशत से अधिक प्लाट वाले नियन्त्रित क्षेत्र पाकेटों में संकेन्द्रण उद्योग के समूह को अधिनियम के अधीन विहित सम्यक प्रक्रिया अपनाते हुए विकास योजना का पुनरीक्षण करने के बाद वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर नियमन के लिए विचारा जाएगा। सम्यक तत्परता तथा प्रक्रिया का विकास योजना को संशोधित करने तथा बदलने से पूर्व ऐसी स्थिति में श्रम साध्य रूप से अनुसरण किए जाने के लिए आवश्यक प्रारूप पर आम जनता से टिप्पणी मांगते हुए विकास योजना का पुनरीक्षण करने से पूर्व अनुसरण किया जाएगा ।	यह विभाग सुझाव से सहमत नहीं है कि जहां 70 प्रतिशत उद्योग आवासीय सैक्टरों में स्थित है, उन्हें औद्योगिक जोन के रूप में घोषित करना चाहिए। दिनांक 7.5.2015 को हुई बैठक में विचार विमर्श के दौरान, डीजीटीसीपी द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया था कि औद्योगिक जोन घोषित करने के लिए प्रस्ताव सम्भव नहीं है क्योंकि निवासी जिन्होंने अपनी आवास इकाई निर्मित की है तथा जो उसमें रह रहे हैं आक्षेप दायर करेंगें तथा यहां तक कि वे न्यायालय में भी जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मकान घोषित आवासीय कालोनी/क्षेत्र में निर्मित किए हैं।	इस सुझाव को प्रारूप पुनः स्थापन पालिसी में माना नहीं जा सकता जैसा कि यह असम्भाव्य, विशाल स्केल पुनः स्थापन की ओर ले जाएगा ।
अध्याय 10.2 पुनः स्थापन के प्रयोजनों के लिए प्रवर्गीकरण कारखानों (निर्माण करने वाले उद्योग) किया जा रहा है। **केवल—क.** लाल प्रवर्ग उद्योग—तुरन्त प्रभाव से हटाये जाने हैं । **ख.** नारंगी प्रवर्ग उद्योग तुरन्त प्रभाव से हटाये जाने हैं जैसा कि लाल प्रवर्ग के मामले में है किन्तु यदि ये इकाई प्रदूषण नियन्त्रण मानकों का अनुपालन करती है, तो उन्हें अनुरूप क्षेत्रों में बदलने के लिए दो वर्ष का समय दिया जा सकता है । **ग.** हरे प्रवर्ग उद्योग— ये ईकाई प्रदूषण नियन्त्रण विभाग की सम्यक सहमति लेने के बाद चलाई जा सकती है ।	प्रवर्गीकरण केवल विकास योजना के साथ साथ प्रकाशित जोनिंग विनियमों में दिए गए वैद्यानिक उपबन्धों के अनुसार किया जा सकता है । जो उद्योगों को वर्गीकृत करते हैं जैसे कि स्थानीय सेवा उद्योग, हल्के उद्योग, मध्यम तथा बड़े उद्योग। इसी प्रकार यह कहना गलत है कि यहां कोई भी खतरनाक तथा खतरनाक रूप से प्रदूषित उद्योग की धारण नहीं है, 'हाानिकर या खतरनाक उद्योग से अभिप्रायः है, सरकार की अनुमति से लगाया गया उद्योग तथा ऐसी विशेषता जैसे कि अत्यधिक धुंआ, शोर कम्पन, बदबू, अप्रिय ब्रांड या प्रचुर हानिकर, विस्फोटक, ज्वलनशील सामग्री इत्यादि तथा समाज के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के लिए अन्य खतरों से सम्बद्ध अत्यंत घातक बाधक है । खतरनाक रूप से प्रदूषित उद्योग शब्द में खतरनाक उद्योग के साथ भी शामिल है। '70 प्रतिशत प्लाटों से अधिक वाले नियन्त्रित क्षेत्र पाकेट में उद्योगपति सैकेन्द्रण का समूह' शब्द प्रयुक्त किया गया है । यह पहलू, स्पष्ट नहीं है। प्लाट भिन्न आकार के हो सकते हैं । वस्तुतः प्लाट की बजाए, औद्योगिक इकाईयों के क्षेत्र को विचार में लेना चाहिए यदि शहरी स्थानीय निकाय विभाग आवासीय क्षेत्रों के ऐसी औद्योगिक इकाइयों को नियमित करने का विचार करता है /विभाग अंकित करता है कि सभी उद्योगों की भूमि को कोई पालिसी लाने से पूर्व ठीक ठाक किया जाए।	वरिष्ठ वैज्ञानिक सलाहकार एचएसपीसी बी के पी एस आई का ई—मेल का संदर्भ दिनांक 9 जुलाई,2015, 5:40:25 सांय, पैरा 3 तथा लाईन 1 तथा 2, किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया शाब्दिक कि 'पर्यावरण कानूनों के उपबन्धों के अधीन 'खतरनाक या खतरनाक रूप से प्रदूषित उद्योगों' के रूप में उद्योंगों के प्रवर्गीकण की कोई धारणा नहीं है । तथापि, के कथन को योग्य बनाने की ओर ले जाते हैं । परिभाषा अस्पष्ट है तथा पालिसी को सूत्रबद्ध करने के प्रयोजन के लिए उद्योगों के प्रवर्गीकरण में सहायता नहीं करती है। सुझाव स्वीकृत किया जाता है कि विस्तृत भूमि ठीक—ठाक करने का अभ्यास किया जाये। पणधारी के रूप में एस पी वी को नियमन/पुनः विकास की स्कीम को सूत्रबद्ध करने की प्रक्रिया में सक्रिय हिस्सेदार होना चाहिए जो सम्बन्धित नगर निगम/समिति द्वारा तैयार की जाएगी ।

प्रारूप पुनः स्थापन पॉलिसी	संबंधित विभाग की टिप्पणी	उद्योग विभाग की टिप्पणी
	वास्तव में, उद्योग विभाग में हरियाणा सरकार अतिक्रामकों को लाभ देती है जिन्होंने कोई सीएलयू अनुमति प्राप्त नहीं की है तथा न ही सरकार से कोई अनुमति प्राप्त की है तथा उद्योगों को नियमित करने का प्रस्ताव किया है। इस विभाग की यह राय भी है कि संबंधित एसपीबी (स्वामियों द्वारा बनाई जानी है) द्वारा नियमन/पुनः विकास स्कीम तैयार करना सम्भव नहीं हो सकता।	
11.1 आगामी योजना तथा निर्धारणः– • समूह आधारित औद्योगिक अवसंरचना को प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट उपाय करना। • प्रदूषण मानक आवासीय क्षेत्रों में कड़ाई से लागू किए जाएंगे। शून्य सहनशीलता बहिःस्त्राव, वायु तथा शोर प्रदूषण के लिए लागू की जानी है। • ऐसे गैर अनुरूपता पुनः प्राप्ति को रोकने के उद्देश्य से ई एम–2 दायर करने से सम्बन्धित भूसंदर्भित स्मार्ट कार्ड को प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज बनाया जायेगा। ऐसे कार्डो की पीपीपी ढंग पर प्रचार योग्य आधार पर फैनलित अभिकरणों द्वारा बनाया जायेगा।	औद्योगिक इकाईयों द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए ई एम–2 दायर करने से सम्बन्धित भू संदर्भित स्मार्ट कार्ड रखने के लिए अनिवार्य अपेक्षा बनाना कठिन हो सकता है, यद्यपि आवासीय क्षेत्रों में संचालित औद्योगिक ईकाईयों के समूह को रोकने के लिए विशिष्ट उपाय करना पर्याप्त होगा।	एम.एस.एम. ई. मंत्रालय द्वारा यू.ए. एम. की प्रस्तावना के दृष्टिगत इसे राज्य में अनिवार्य किया जा सकता है ।
11.2 घरेलू उद्योग परम्परागत घरेलू उद्योग जो पुराने नगरों, नगरपालिका सीमाओं के आवासीय क्षेत्रों में संचालित किए जा रहे हैं, को चलाने की अनुमति दी जाएगी। तथापि ये हुडा तथा अन्य योजनाबद्ध तथा अनुमोदित आवासीय कालोनियों में लागू नहीं होता।	यह सूचित किया जाता है कि विभाग हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 तथा नियम, 1976 के अधीन प्राईवेट उप निवेशकों द्वारा स्थापित कालोनियों के रूप में ''अनुमोदित आवासीय कालोनी'' समझता है। विभाग पहले वर्णित किए गए अनुसार स्थानीय सेवा उद्योग को क्षेत्र की स्थानीय अपेक्षा को पूरा करने के लिए आवासीय सैक्टरों में अनुज्ञेय गतिविधि के रूप में समझता है।	

प्रारूप पुनः स्थापन पॉलिसी	संबंधित विभाग की टिप्पणी	उद्योग विभाग की टिप्पणी
	हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड; (i) दिनांक 15.4.2014 को जारी बोर्ड की सहमति पालिसी अधिसूचना के अनुसार, बोर्ड ने पहले ही निर्णय किया है कि कोई भी अनुमति नगरपालिका क्षेत्रों/हुडा क्षेत्रों में स्थित इकाइयों समिति की या अनुमोदित आवासीय क्षेत्र/ कालोनी की टी0पी0 स्कीम को नहीं दी जा सकती। बोर्ड यथा लागू जल अधिनियम, 1974, वायु अधिनियम, 1981, खतरनाक अपशिष्ट (एम एच तथा टी एम) नियम, 2008, प्लास्टिक अपशिष्ट (एम तथा एच) नियम, 2011 बायो मैडिकल अपशिष्ट (एम तथा एच) नियम, 1998 के अधीन विभिन्न उद्योगों/परियोजनाओं को स्थगित करने की सहमति, चलाने की सहमति, प्राधिकार देने तथा रजिस्ट्रेशन के रूप में विभिन्न अनुमति प्रदान कर रहा है। बोर्ड अपने प्रदूषण सम्मान्य पर निर्भर अत्यधिक प्रदूषित, प्रदूषित तथा कम प्रदूषित इकाइयों के रूप में औद्योगिक इकाइयां तथा लाल, नारंगी तथा हरे प्रवर्ग के अधीन अन्य परियोजनाओं को प्रवर्गीकृत किया है। परियोजना के केवल लाल तथा नारंगी प्रवर्ग को सहमति प्रबन्धन में शामिल किया गया है चूंकि परियोजना का हरे प्रवर्ग को प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण की व्यवस्था के अध्यधीन जहां कहीं उनकी प्रक्रिया तथा उनकी गतिविधियों पर निर्भर हरे प्रवर्ग की परियोजनाओं द्वारा अपेक्षित हो तथा स्वयं विनियामक शासन प्रणाली द्वारा शासित है । (ii) प्रारूप पालिसी के खण्ड 10.2 के अधीन, यह प्रस्तावित किया गया है कि उद्योगों के हेतू प्रवर्ग को हटाया नहीं जाएगा तथा पालिसी की अन्तिमता तथा अधिसूचना के बाद वर्तमान स्थलों पर निरन्तर चलाए जाएंगे। प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से समाशोधन रखने वाले केवल गैर खतरनाक तथा गैर हानिकर उद्योगों को इन स्थानों में चलाने के अनुमत होंगे । प्रारूप पालिसी के अध्याय 7.1 में, यह वर्णित किया जाता है कि वर्ष 2011–2013 के दौरान हरियाणा के उद्योगों के किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, यहां हरियाणा में लगभग 70,000 औद्योगिक इकाइयां हैं जिनमें से 45 प्रतिशत इकाइयां गैर–अननुरूप क्षेत्र तथा जिनमें से कुछ आवासीय क्षेत्र में चलाई जा रही हैं। मोटा उद्योग अनुमान इस आंकड़े को लगभग 2 से 3 गुणा से अधिक के रूप में बांधता है। उपरोक्त डाटा से यह स्पष्ट है कि उद्योगों की बहुत बड़ी संख्या गैर अननुरूप/आवासीय क्षेत्रों में चल रही है जिसमें परियोजना के हरे प्रवर्ग को बहुत बड़ी संख्या भी शामिल होगी तथा यदि हरे प्रवर्ग को परियोजनाओं को सहमति प्रबन्धन में शामिल किया जाता है, तो स्थापना की सहमति/चलाने की सहमति के मामलों की ऐसी बहुत बड़ी संख्या को सम्भालना बहुत कठिन होगा। यह सुझाव दिया जाता है कि सहमति प्रबन्धन	

प्रारूप पुनः स्थापन पॉलिसी	संबंधित विभाग की टिप्पणी	उद्योग विभाग की टिप्पणी
	करने की व्यवस्था को इस पॉलिसी से हटाया जा सकता है तथापि इस किस्म की इकाइयां वर्तमान स्कीम के अनुसार स्वयं विनियामक शासन द्वारा शासित होगी। (iii) यहां यह वर्णित करना उचित है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड प्रदूषण घातांक मापदण्ड तथा पर्यावरणीय समस्याओं पर आधारित उद्योगों के प्रवर्गीकरण की प्रक्रिया में है जैसे कि उत्सर्जन, बहिःस्त्राव तथा खतरनाक अपशिष्ट का उत्पादन तथा प्रवर्गीकरण प्रदूषण घातांक के 90 से 1000 अंक के संयुक्त स्कोर के आधार पर किया जाएगा जोकि निम्न अनुसार प्रस्तावित किये गये हैं :– • उद्योगों की किस्म, यदि स्कोर 60 तथा उससे अधिक है तो लाल के रूप में प्रवर्गीकृत किया जाये। • उद्योगों की किस्म, यदि स्कोर 30 से 59 है तो नारंगी के रूप में प्रवर्गीकृत किये जायें। • उद्योगों की किस्म, यदि स्कोर 15 से 99 है, तो हरे रूप में प्रवर्गीकृत किये जायें। **उद्योगों की किस्म** – यदि स्कोर 15 से कम है, तो गैर–प्रदूषित उद्योग के रूप में प्रवर्गीकृत किया जाये (सफेद के रूप में)। यह सुझाव दिया जाता है कि उद्योगों/परियोजनाओं का उपरोक्त प्रवर्गीकरण को पुनः स्थापन पॉलिसी बनाते समय भी विचार में लिया जाये तथा सी.पी.सी.वी. द्वारा अन्तिम रूप दिये जाने वाली परियोजनाओं के केवल सफेद प्रवर्ग को ई.पी.ए., नियम 1986 के अधीन विहित शोर के सम्बन्ध में तथा कोई अन्य मानदण्ड/मानकों की अनुपालना के अध्यधीन वर्तमान स्थानों पर चलाने के लिए विचारा जा सकता है, प्रदूषक का निस्सरण न करते हों। (iv) प्रारूप पॉलिसी में खतरनाक रसायन नियम, 1989 तथा रसायन दुर्घटना नियम, 1996 के निर्माण, भण्डारण तथा आयात में यथा परिभाषित खतरनाक रसायन का निपटान तथा भण्डारण के लिए इकाई/संस्थापन का कोई भी विशिष्ट वर्णन नहीं है। किसी आवासीय या वाणिज्यिक या मिश्रित क्षेत्र में इस किस्म के संस्थापन बहुत खतरनाक हैं तथा रसायन आपदा तथा दुर्घटना के लिए अधोगामी है। यह सुझाव दिया जाता है कि खतरनाक रसायनों के निपटान तथा उपरोक्त कथित नियमों में सूचीबद्ध इकाइयों/संस्थापन की इस किस्म को किसी आवासीय या वाणिज्यिक या मिश्रित क्षेत्र में चलाने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है तथा एकान्त क्षेत्रों में बदला जाना चाहिए।	

उद्योगों का वर्गीकरण (घरेलू)

ग्रुप–क

1.	अगरबत्ती तथा समरूप उत्पादन
2.	एल्यूमिनियम हैन्गर (वायर ड्राईंग तथा उद्–दवारीकरण को छोड़कर)
3.	आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक/यूनानी दवाइयां
4.	इलैक्ट्रीकल गैजेटी की एसम्बली रिपेयर
5.	इलेक्ट्रोनिक्स गुड्स की एसम्बली तथा रिपेयर
6.	सिलाई मशीनों की एसम्बली तथा रिपेयर
7.	हैण्ड टूल की एसम्बली
8.	बैडमिन्टन सैटल कोकस की एसम्बली
9.	इलैक्ट्रीकल गैजट्स, कूलर/हीटर इत्यादि की एसम्बली/रिपेयर
10.	सिलाई मशीनों की एसम्बली तथा रिपेयर
11.	टाईपराईटर की एसम्बली तथा रिपेयर (फोंट कास्टिंग को छोड़कर)
12.	बेकलाईट स्वीचीज की एसम्बली
13.	माप उपकरण की एसम्बली तथा रिपेयर (पारा तथा खतरनाक सामग्री के संचालन को छोड़कर)
14.	आटा चक्की
15.	बैटिक वर्क
16.	ब्लॉक मेकिंग तथा फोटो एनलारजिंग
17.	बिस्कुट, पापे, केक तथा कुकीज मेकिंग
18.	बटन मेकिंग, बटन की फिक्सिंग तथा हुक
19.	बुक बाईडिन्ग
20.	ब्रूस तथा ब्रूम (हाथ से)
21.	कालको तथा टैक्सटाईल प्रोडैक्ट
22.	केन तथा बम्बू प्रोडैक्ट
23.	कैसेट रिकार्डिंग
24.	क्ले तथा माडलिंग
25.	कॉपर तथा जूट प्रोडैक्ट
26.	कार्डबोर्ड बॉक्सिंग
27.	मोमबत्ती
28.	कोयर तथा ब्रास आर्ट बेयर
29.	कोरडेज, रोप तथा टविन मेकिंग
30.	कारपेन्टरी

31.	प्लास्टर ऑफ पैरिस सहित क्ले तथा माडलिंग
32.	कान्टैक्ट लैंस
33.	कनवैस बैग तथा होल्डाल मेकिंग
34.	कैन्डल, स्वीट, रसमलाई इत्यादि (जब डिब्बाबन्द न हों)
35.	काटन सिल्क प्रिंटिंग (हाथ से)
36.	कम्प्यूटर रिपेयरिंग तथा साईबर इन्फरमेशन सैन्टर
37.	कम्प्यूटर साफ्टवेयर
38.	दरी तथा कारपेट विविंग
39.	डिटरजैन्ट (भट्ठी के बिना)
40.	डाटा प्रोसैसिंग
41.	डेयरी प्रोजैक्ट अर्थात् क्रीम, घी, पनीर इत्यादि
42.	ड्राई क्लीनिंग (बिग वर्कशाप को छोड़कर)
43.	डैस्क टोप पब्लिसिंग
44.	एम्ब्राईडरी (कढाई)
45.	इनेमलिंग बिटेरियस (कोयले के प्रयोग के बिना)
46.	पिक्चर तथा गिरर की फ्रेमिंग
47.	फाऊंटेन पैन, बाल पैन तथा फैल्ट पैन
48.	गोल्ड तथा सिल्वर थ्रैड कालाबालू
49.	हौजरी प्रोडैक्ट (डाईंग तथा ब्लीचींग के बिना)
50.	एम्ब्राईडरी सहित हैट, कैप, टरबन
51.	आइबोरि कारविंग
52.	फाऊंटेन पैन के लिए
53.	स्याही बनाना
54.	इन्टरलोकिंग तथा ब्टनिंग
55.	ज्वैलरी आईटम
56.	खादी तथा हैण्डलूम
57.	खुस टाटीज
58.	निटिंग वर्कस
59.	लेस प्रोडैक्ट
60.	लैयर फुटवीयर
61.	लैदर बैल्ट तथा बकल्स की एसम्बली (हाथ से)

62.	लैयर तथा रैक्सीन मेड अपस
63.	मिल्क क्रीम सपरेशन
64.	जूट प्रोडैक्ट का निर्माण
65.	बिन्दी का निर्माण
66.	नेम प्लेट मेकिंग
67.	निम्नलिखित वस्तुओं का उत्पादन
(i)	बलैन्को केक
(ii)	ब्रुस
(iii)	कुल्फी तथा कन्फैक्सनरी
(iv)	क्रेआन
(v)	जैम, जेलीज तथा फ्रूट प्रिजरन
(vi)	म्यूजिकल इन्स्ट्रूमैन्ट (रिपेयर सहित)
(vii)	लेस वर्कस तथा लाईक
(viii)	ओरनामैन्टल लैदर गुड्स लाईक परसिज, हैण्ड बैग
(ix)	स्माल इलैक्ट्रोनिक्स कम्पोनैन्टस
68.	पेपर स्टेशनरी आईटम तथा बुक बाईडिंग
69.	पीट हैट, गारलैण्ड ऑफ फलावर तथा पिच
70.	पी.वी.सी. प्रोडैक्टस (एक माडलिंग मशीन सहित)
71.	पेपर मशीन
72.	परफ्यूमरी तथा कास्मैटिक
73.	फोटोसैटिंग
74.	फोटोस्टेट तथा साईकलोस्टाईलिंग
75.	ड्राईंग की फोटोकापी जिसमें ड्राईंग तथा डिजाईन का एन्लारजमैन्ट शामिल है।
76.	शैम्पू की पैकेजिंग
77.	हेयर ऑयल की पैकेजिंग
78.	वादी, पापड़ इत्यादि की तैयारी
79.	कोन्डीमैन्टस, स्पाईसिज, ग्राऊन्ड नैटस तथा दाल इत्यादि की प्रोसैसिंग
80.	पान मसाला
81.	स्वीट तथा नमकीन का प्रोडैक्शन
82.	पेपर मैचे
83.	पेपर कप, प्लेट, फाईलकवर तथा लैटर पैड (बिना मुद्रण)

84.	फोटोग्राफी (डैवल्पिंग तथा प्रिंटिंग)
85.	हाथ घड़ियों तथा दीवार घड़ियों की मरम्मत
86.	राखी बनाना
87.	घरेलू इलैक्ट्रीकल उपकरणों की मुरम्मत
88.	रैडीमेड गारमैन्टस
89.	साईकिलों की मरम्मत
90.	कम्प्यूटर हार्डवेयर की रिपेयर तथा एसम्बली
91.	बैग, ब्रीफकेस, सूटकेस की मरम्मत, लैयर तथा पी.वी.सी सामग्री के प्रयोग के सिवाय
92.	वाटर मोटर, स्टैबलाईजर, यू.पी.एस इत्यादि की मरम्मत
93.	इलैक्ट्रोनिक सामान की मरम्मत
94.	रबड़ स्टैम्प
95.	स्कूटरों की मरम्मत
96.	पत्थर उत्कीर्ण करना
97.	खेल सामान
98.	सर्जिकल बैन्डेज रोलिंग तथा कटिंग
99.	स्टोव पाईप, सेफटी पिन तथा एल्यूमिनियम बटन(हाथ के दबाव से)
100.	सिल्वर फोएल बनाना
101.	साड़ी फाल बनाना
102.	शू लेसिज
103.	स्पोर्ट नैटस
104.	स्टैम्प पैड
105.	स्क्रीन प्रिंटिंग
106.	टेलरिंग
107.	थ्रर्ड बाल तथा काटन फिलिंग
108.	खिलोने तथा गुड़िया बनाना
109.	टाई
110.	टमाटों कैचअप
111.	अम्बरेला एसम्बली
112.	बर्तन धुलाई पाऊडर (केवल मिक्सिंग तथा पैकेजिंग)
113.	वैलवैट एम्ब्रायडरड शूज/शाल
114.	वैरमीकली तथा मैकरोनी

115.	वुड कारविंग तथा डैकोरेटिव वुड वेयर
116.	वूल बालिंग तथा लच्छी बनाना
117.	वुडन/कार्डबोर्ड जवैलरी बॉक्सिज (विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र के अध्यधीन)
118.	वूल निटिंग (मशीन से)
119.	जरी जरदोजी
120.	वुडन/कार्डबोर्ड जवैलरी बॉक्सिज(विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र के अध्यधीन)
121.	वूल निटिंग (मशीन से)
122.	जरी जरदोजी

घरेलू उद्योग

ग्रुप क – 1

हरित पट्टी में गांव (आबादी) में घरेलू उद्योग

1. लोहारगिरी
2. बेंत तथा बांस उत्पाद
3. चिकनी मिट्टी तथा पैरिस ऑफ प्लासटर से माडलिंग
4. दरी/कारपैट/साड़ी बुनाई (रंगाई तथा ब्लीचिंग के सिवाय)
5. पत्थर उत्कीर्ण
6. ग्रामीण मिट्टी के बर्तन उद्योग (भट्टी के बिना)
7. ग्रामीण तेल घानी
8. लकड़ी नक्काशी तथा डैकोरेटिव तथा लकड़ी वेयर

ग्रुप क तथा क – 1 में वर्णित कोई भी उद्योग निम्नलिखित कार्यवाही नहीं करेगा :

क. एनोडाईजिंग

ख. ब्लीचिंग

ग. कोयला जलाने

घ. केनिंग सुविधा

ड़ रंगाई

च. इलैक्ट्रोप्लेटिंग

छ. मोल्डिंग कार्य

ज. सी.एफ.सी. गैंस का प्रयोग

झ. वारनिसिंग

ण. घुलाई

क. खतरनाक रसायन नियम, 1989 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1990 के विनिर्माण, भण्डारण तथा आपात की अनुसूची 1 तथा/या II के अधीन सूचीबद्ध रसायनों का भण्डार करना प्रतिषिद्ध किया जायेगा।

ख. कोई भी बहिःस्त्राव/उत्सर्जन इकाइयों द्वारा उत्पन्न किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जायेगा तथा ये पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथा अनुबन्ध शोर मानकों का पालन (अनुसरण) करेंगी।

प्रतिषिद्ध (नकारात्मक सूची)

निम्नलिखित का निर्माण करने वाले उद्योग आवासीय क्षेत्रों के भीतर प्रतिषिद्ध किये जायेंगे :

1.	उटन प्रति चार्ज से अधिक का अर्क/इन्डक्शन फर्नेश
2.	एसिड
3.	टलकालीस
4.	पशु तथा मछली तेल
5.	एल्ढीहाईडस
6.	एसिड सलूरी
7.	एसैटीलाईडस, फरीडीनेस, आईजेफोरम, क्लोरोफोरम, ई–नेपथोल इत्यादि
8.	अमोनियम सल्फोजनाईड, अरसैनीक तथा इसके कम्पाऊडस, वैश्यिम कारबोनेट, बेरियम साईनाईड, बेरियम एस्टेट सिनेबर, कापर सल्फोसीनाईड, फैरोसाईनाईड, हाईड्रो साईनिक एसिड, पोटासियम बायोक्लेट, पोटासियम, साईनाईड, प्रूसियेट ऑफ पोटास, फिनाइगलिक एसिड, सिल्वर साईनाईड
9.	एयरक्राफ्ट बिल्डिंग
10.	ढबेटोयरज, एनीमल ब्लैड प्रोसैसिंग (वर्तमान तथा पुनः स्थापन के सिवाय)
11.	बिटूमैन बलोविंग (होट)
12.	ईंट भट्ठा (कच्ची सामग्री के रूप में नई मिट्टी का प्रयोग, ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग)
13.	बी–नेपथाल
14.	बेकलाईट पाऊडर (फोरमल–डीहाईड से प्रारम्भ)
15.	बेयरली माल्ट तथा एक्सट्रक्ट
16.	बोन–गरिस्ट, बोन–मील, साल्टिंग ऑफ बोन, खुले में बोन का भण्डारण, बोन ड्राईंग (सुरवाना)
17.	बोन चारकोल निर्माण
18.	ब्लास्ट फरवेश–कोल फायरड
19.	बाईसिकल (इन्टीग्रेटिड प्लांट)
20.	ब्रेवरी तथा पोटेबल स्पिरिट
21.	क्लोरीबेटिड पैराफिन बाक्स प्यूरीफिकेशन
22.	कार्बन ब्लैक
23.	सिमेंट उद्योग
24.	कैल्सियम कार्बाईड, फास–फोरियस, एल्यूमिनियम डस्ट पेस्ट तथा पाऊडर, कापर, जिंक इत्यादि (इलैक्ट्रोथर्मल उद्योग)
25.	क्रेन, हाइस्ट तथा लिफट (एसम्बली को छोड़कर)
26.	साधारण औद्योगिक मशीनरी जैसे कि हाईड्रोलिक उपकरण, ड्रिलींग उपकरण, बायलर इत्यादि
27.	डी.ओ.पी. (डियोक्टाईल पैथालेट), डी.बी.पी तथा प्लास्टीसिजर
28.	ड्राई सैल बैटरी

29.	डाई तथा डाई इन्टरमिडियट
30	डिस्टीलेशन आफ वुड, कैमिकल सिजनिंग आफ वुड (स्टीम सिजनिंग को छोड़कर)
31.	विस्फोटक अर्थात् फायरवर्कस गनपाऊडर, गनकाउन इत्यादि
32.	अर्थ मूविंग मशीनरी / उपकरण (एसम्बली का निर्माण)
33.	इलैक्ट्रिक वायर तथा केबल (100 कर्मकारों से अधिक, 2000 वर्गमीटर भूमि)
34.	फैटी एसिड
35.	फुंगीसाईडज तथा पैस्टीसाईडज
36.	फलैक्सोग्राफिक ईंक
37.	ईंधन तेल, इल्यूमिनेटिंग तेल तथा
38.	फाऊंडरी (हैवी)
39.	गैंस कम्प्रैसर
40.	ग्रेफाईट प्रोडैक्शन
41.	ग्लास फरनेश (एक टन / प्रति दिन क्षमता से अधिक)
42.	गैसिज कार्बन – डिसल्फाईड, अल्ट्रामैरीन ब्लू, क्लोराईन, हाईड्रोजन, सल्फरडिओक्साईड, एसैटीलिन, इत्यादि (एल.पी.जी. / सी.एल.जी)
43.	ग्लैन्डूलर / गलैन्डस एक्सट्रैक्शन
44.	बोनस तथा फलैश से गलू तथा ग्लेटाईन
45.	हाट मिक्स प्लांट (डी.पी.सी.सी. / सी.पी.सी.बी. द्वारा अनुमोदित के सिवाय)
46.	खतरनाक अपशिष्ट प्रोसैसिंग अर्थात अस्पताल / मैडिकल / औद्योगिक अपशिष्ट
47.	पोलीयूरेथीन फोम
48.	इन्डस्ट्रीयल ग्लेटाईन, निटरो ग्लेसेरिन तथा फुल्मीनेट
49.	आयरन / स्टील मैटल फोरगिंग (3 टन क्षमता से अधिक स्टीम तथा पाऊडर हारमर का प्रयोग करने वाली)
50.	इन्डस्ट्रीयल ग्लेटाईन, निटरो ग्लेसरिन तथा फुल्मीनेट
51.	इन्डस्ट्रीयल ट्रक, ट्रेलर इत्यादि
52.	लिनियर अल्काईड बेनजीन
53.	सैकेन्डरी लीड इन्डस्ट्री सहित लोड निर्माण (अपशिष्ट रद्दी से जोड की वसूली)
54.	चूना भट्टी
55.	लैदर टेनिंग (रा हाईडस / स्कीन टू सेमी फिनिस)
56.	जोकोमोटिवस तथा वेगन
57.	मैथानोल
58.	मिथाईलेटिड स्पिरिट

59.	मैकेनिकल स्टोन क्रैशर तथा कोर्स सैन्ड की घुलाई
60.	पल्प तथा पेपर का निर्माण
61.	मेलामाईन रेसिन
62.	मिनरल साल्ट (जिसमें एसिड : सी.यू.एस 04, एफ.ई.एस.04, ए.एल.यू.एम इत्यादि का प्रयोग शामिल है)
63.	एसम्बली के सिवाय डीजल ईंजन, जरनेटरों का निर्माण
64.	मोटर साईकल, स्कूटर, कार, टैम्पो, ट्रक इत्यादि
65.	अखबारी कागज
66.	अखबारी कागज निर्माण, पल्पिंग, नया कागज बनाना
67.	निटरोजैनियर तथा फासफैटिक फर्टीलाईजर, कम्पाऊडिंग के लिए फर्टीलाईजर की मिक्सिंग के सिवाय (बड़े पैमाने पर)
68.	आरगैनिग सालवैन्ट, क्लोरीनेटिउ मिनरल, मैथावल, एल्डीहाईडस, मिथाईलेटिड स्पिरिट
69.	पैट्रोलियम कोक प्रोसैसिंग, ईंधन के रूप में नहीं
70.	पोटरीज/रिफ्रैक्टरी (कोल या फरनेश आयल का प्रयोग करने वाले)
71.	पोलीथीलीन पार्लीमर रेसिन सहित
72.	पैंट इन्डस्ट्री (निटरो वैलूलोस तथा अल्काईड रेसिन बेसड)
73.	प्लास्टीसिजर निर्माण
74.	पाईरीडिक्स
75.	फिनोल फोरमल्डीहाईड रेसिन तथा पाऊडर (यूरिया तथा फोरमल्डीहाईड से शुरू)
76.	पोरसीलेन प्रोडैक्ट पोटरीज (2 टन प्रति दिन से अधिक उत्पादन क्षमता का कोयला प्रयोग करना)
77.	रबड़ सोल्यूसन तथा थिनर (नेपथा तथा रबड़ का प्रयोग)
78.	रोयस्टिंग आफ ओरे सल्फाईड ओक्साईड आफ मिक्सचर
79.	रेयन फाईबर निर्माण
80.	रिफ्रैक्टरीज
81.	रबर का रिफलेमेशन तथा टायर तथा टयूबों का उत्पादन (डिबूलकेनीसेशन)
82.	सचेरिन
83.	सैकेन्डरी जाईन इन्डस्ट्री
84.	सिन्थैटिक रबड़
85.	स्मैल्टिंग
86.	सिलाई मशीन (इन्टीग्रेटिड इकाई) एसम्बली के सिवाय
87.	सलूईस गेटस तथा गियर
88.	स्टीम ईंजन

89.	स्टील पाईप तथा टयूब (सत्त वैल्डिड/सीमलैस)
90.	शूगर, खांड सारी
91.	सोडियम सिलीकेट इन्डस्ट्री (एक टन/दिन से अधिक)
92.	पत्थर उत्खनन
93.	टैक्सटाईल (सभी शिफ्टों में 100 कर्मकार से अधिक, एक एकड़ भूमि, 100 एल के डी पानी)
94.	थोरियम, रेडियम तथा समरूप आईसोटोयस तथा रेयर अर्थ (मिट्टी) की वसूली
95.	टरबाईन
96.	यूरिया तथा फिनाईल फोरमलडीहाईड रेसिन
97.	वैजिटेबल आयल हाईड्रोजनरेटिड
98.	अपशिष्ट (क्रूड/बरूट) आयल प्रोसैसिंग

(रिफाईनरी) टिप्पणी :–

क. उपरोक्त निर्दिष्ट किन्हीं गतिविधियों वाली कोई लोक उपयोगिता सेवा पर्यावरणीय कानूनों के अध्यधीन अनुमत होगी।

ख. प्रतिषिद्ध उद्योगों की सूची में आगामी परिवर्धन/परिवर्तन किये जा सकेंगे यदि उपयुक्त समझे जाएं तथा ऐसा करना राज्य सरकार द्वारा लोक हित में समझा जाये।

अनिल कुमार
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 20th July, 2016

No.2/29/2016-R-II.— In exercise of the power conferred by Section 398 (2) (a) of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 and power conferred by Section 250 (a) of Haryana Municipal Act, 1973, the Governor of Haryana hereby directs for the information of general public the following Relocation Policy for shifting of Industries operating in the Residential Areas.

1. Introduction/Background:-

The formulation of the re-location policy has been necessitated consequent to orders of Hon'ble High Court in CWP No. 11226 of 2013 (O & M) titled as Progress Industries v/s State of Haryana and others. The court issued directions to the State for framing a policy for shifting the industrial units operating in the residential areas.

2. Operative part of the order of the High Court:-

The above mentioned Civil Writ Petition alongwith other CWP Nos. 13134 to 13140 of 2013 were listed together for hearing and disposed of by a common judgment titled as CWP No.11226 of 2013 (O&M) titled as Progress Industries Vs. State of Haryana and others on dated 9.07.2014. All the aforementioned 8 writ petitions preferred by the petitioner(s) originated due to the closure of the factories by the respondents (Joint Commissioner, Municipal Corporation, Ballabgarh and Faridabad) on the ground that they were running in notified residential area localities and such industrial activities could not be permitted in violation of the notified zoning/master plan.

In addition to above, there was another prayer with regard to framing of policy for shifting such units from the residential area. It was felt that it was dire need of the day not only in the interest of public at large, but also in the interest of the industrial units and in addition, this would avoid unnecessary litigation. It was, therefore, directed that the Government shall do the needful after giving due publicity and after hearing all concerned.

First part of the order of the court pertains to the shifting of the manufacturing units out of the residential areas in case not permitted under the Municipal Committee Act and units in contravention of the municipal laws.

The Hon'ble High Court mandated that there should be a non-discriminatory treatment of the manufacturing units operating in the residential areas in the municipal limits. Therefore, the policy needs to apply uniformly in all such similarly situated cases.

The second part of the order of the Hon'ble High Court refers to the running of the dangerous and hazardous factories specifically the pollution causing units. For the purpose of making policy recommendations, both have been considered.

3. Constitution of Committee:-

In pursuance of order dated 24.02.2015, Sh. Depinder Singh Dhesi, Chief Secretary, Haryana and Sh. S.N. Roy, Principal Secretary to Government, Haryana, Urban Local Bodies Department assured that they will make efforts to frame the policy for the entire State of Haryana and they will also direct the Pollution Control Board to identify the polluting industries and their categories. They assured the Hon'ble High Court that the requisite policy will be framed within four months. Affidavit filed by Sh. Roy in Court was taken on record.

Since framing of a State Level Policy for shifting of industries from the residential areas is a major policy decision, involving different departments, therefore Chief Secretary of Govt. Haryana approved the Constitution of the following committee, for formulating the policy:-

1.	Principal Secretary to Govt. Haryana, Industries Department	Chairman
2.	Principal Secretary to Govt. Haryana, Urban Local Bodies Deptt.	Member
3.	Principal Secretary to Govt. Haryana, Environment Deptt.	-do-
4.	Director General, Town and Country Planning Deptt., Haryana	-do-
5.	Chief Administrator, HUDA	-do-
6.	Managing Director, HSIIDC	-do-
7.	Director, Urban Local Bodies, Haryana	-do-
8.	Commissioner, Municipal Corporation, Faridabad	-do-
9.	Commissioner, Municipal Corporation, Gurgaon	-do-

The committee was required to formulate the policy and notify the same before the next date of hearing, which was 15.07.2015.

The committee observed in its first meeting that a similar exercise of relocation of industrial units from the residential areas was implemented by the State of Delhi ensuing an order of the Hon'ble Supreme Court of India. The policy of Delhi, since it was approved by the highest court of India, was taken as the reference document for the preparation of the policy for Haryana State.

4. Relocation of Industry in Delhi:-

A similar exercise arising out of a Supreme Court Order was implemented in the capital city of Delhi, where appx. 1,29,000 units that employed nearly 14, 40,000 workers were identified for relocation from residential areas. The committee decided that it will be instructive and useful to study the case of Delhi in some detail and draw lessons from the same for the purpose of making policy recommendation in the instant case especially in view of the fact that the highest court of the country had seen and ratified the policy prescriptions in case of Delhi.

The Hon'ble Supreme Court, *vide* Judgment dated 7th May, 2004 delivered in the matter of closure/shifting of unauthorized industrial activities in Delhi in residential/non-conforming areas, had passed certain directions in Writ Petition (Civil) No. 4677 of 1985 titled "M.C. Mehta Vs. Union of India & Others" which inter-alia included :-

4.1 "All Industrial units that have come up in residential/non-conforming areas in Delhi on or after 1st August, 1990 shall close down and stop operating as per the following schedule:-

4.1.1 Industrial units pertaining to extensive (Extensive Industries have been classified as 'F' Category, Extensive industries include Auto parts, castings, acid, chemicals, paint, varnish etc.) industries within a period of four month;

4.1.2 Industrial units pertaining to light and service industries within five months;

4.1.3 Impermissible household industries within six months and

4.1.4 6,000 industrial units on waiting list for allotment of industrial plots within 18 months.

4.1.5 House Hold units that have been classified as per the attached list may continue to operate from the residential areas".

In case of Delhi, 122 household industrial activities were allowed to operate in the residential areas after obtaining necessary licenses from the relevant authority.

5. Consultation Committee-Stake Holder Comments:-

In compliance of the court order a committee for the purpose of policy formulation was constituted and after due deliberations with various experts and stake holders has attempted to address the issue. Keeping in view the spirit of the order of Hon'ble Court, the committee formed under the chairmanship of the Principal Secretary Industries met every 15 days and held extensive consultative sessions to formulate a rational and practically implementable policy. A total of seven meetings were held with various stake holders at Chandigarh and Delhi to consider diverse viewpoints regarding shifting and relocation of industry.

6. Representations of the Industrial Associations:-

Industries Association of Jagadhri had in the year 2000 and later in the year 2005 given representations to the Director, Town and Country Planning to recognize the typical nature of industrial activity of the Jagadhri town. During the publishing of the draft development plans, the Department was urged to declare the town as an industrial town and identify / allocate larger geographic areas for the manufacturing units and declare certain industry occupied areas as industrial zones, as major industrial activity was prevalent in those areas and it was not possible to distinguish between residential and industrial activity areas, as both co-existed.

6.1 Deliberations with Jagadhri Metal Association:-

During the deliberations, the representative of industrial units, broadly agreed that industrial units falling under the red category should be closed or shifted from the residential area. The units falling under orange category should be allowed to continue subject to compliance of rules and procedures and stipulations of Haryana State, Water and Air Pollution Control Board as well as other authorities of the State Government. The units falling under the Green category should be exempted from shifting as per the court order. The industry representatives were of views that the residential area wherein industrial units have occupation of more than 70% physical/ geographic area, (eg: Faridabad has a number of such industries occupied areas) should be declared/considered as industrial zone in-situ.

7. Inter Departmental Consultations:-

Inter Departmental consultations were held with Departments of Labour, HUDA, Urban Local Bodies and Town & Country Planning Department and the comments thereof alongwith counter comments of Department of Industries are given at Annexure –A.

8. Policy Recommendations:-

The following norms shall be followed with regard relocation of Industrial units working in residential areas:-

8.1 Clusters of Industrial concentration in controlled area pockets delineated as "residential areas" in the development plans, having more than 70% plotted geographic area within the cluster under industrial activity/use would be considered for regularization on the basis of actual surveys after review of the development plans by following the due procedure prescribed under the Act.

8.2 The due process shall diligently be followed before reviewing the development plan by inviting comments from the general public on the draft need to be followed strictly in such a situation before modifying and revising the development plan.

8.3 In case a decision is taken to modify the land use and the development plan, the necessary provision with respect to charging of fees, prescription of zoning etc. need to be mandated accordingly.

8.4 Some Departments i.e. ULB, T& CP, Labour and Haryana State Pollution Control Board have opposed the idea of regularization of industrial colonies operating from the residential area, a conscious view needs to be taken whether a larger public interest would be served by shifting such a large number of industrial units enmass or they be retained by modifying the development plan, especially the areas, where the current existing land use is determined after conduct of actual survey on the ground (Ground Truthing exercise) and found to be predominantly industrial as mentioned above, although the area is earmarked as residential.

8.5 Categorization for the purposes of Relocation;

The following categorization for the purposes of relocation shall be for industrial units(for manufacturing industries) only.

8.5.1 Red category Industries-To be shifted with immediate effect by giving them six months time.

8.5.2 Orange category Industries-To be shifted with immediate effect as in case of red category, but if these units comply with Pollution Control Norms, then they may be given two years of time to shift to conforming areas.

8.5.3 Green category Industries-These units may continue to be dealt with as per the existing provisions and norms of the Pollution Control Department and other relevant approvals from the concerned authorities.

8.5.4 House Hold Units-Attached list of manufacturing activities can continue in residential areas provided they are not operating from HUDA sectors or other planned and approved residential colonies.

8.5.5 Only non-hazardous and non-noxious industries having clearance from Pollution Control Department shall be permitted to operate from the residential areas.

8.6 Facilitation for shifting of Industry to conforming Industrial Zones:-

The State Government shall facilitate shifting/relocation of Industrial units to the conforming areas. In case of short fall of the industrial zone space, additional zones shall be identified and notified by the Department of Town & Country Planning Department / Urban and Local Bodies as per their respective mandates, in consultation with the Deptt. of Industries. Accordingly existing/new Development Plans shall be marked on map and the designated industrial zones shall be earmarked as the new hub of manufacturing.

8.6.1 Keeping in view the demographics, the social & economic impact on the shifting of industry from the residential areas, a phased but time bound shifting is planned.

8.6.2 State shall identify and notify zones and areas for the industry.

8.6.3 State shall facilitate the Change of land use for the mass scale shifting and relocation of the industry to conforming zones. The new Haryana Enterprises Promotion Policy-2015 envisages 31 blocks as No CLU zones and 75 Blocks as Auto CLU zones for the purpose of establishing Industries. These provisions of the policy can be fruitfully utilized for the shifting units out of residential areas.

8.6.4 Modernization and technological up-gradation shall also be encouraged and incentivized.

8.6.5 Green and clean technology adoption as provisioned in the new Enterprises policy shall be incentivized.

8.6.6 Applicable norms with regard to pollution control shall be enforced.

8.6.7 Suitable incentives and other measures, for shifting and relocation of industrial units not conforming to the land use norms shall be provided as per the provisions of the new Enterprises Promotion Policy.

8.6.8 Tiny industries operating from the residential area that are non hazardous and cottage industries are meant to augment family incomes of the poor/lower middle class of society shall be identified and permitted to operate.

9. Future Plan and prescription:-

9.1 To take specific measures to encourage cluster based industrial infrastructure.

9.2. Pollution norms shall be strictly enforced in the residential areas. Zero tolerance shall be enforced for effluent air and noise pollution.

9.3 In order to prevent re-occurrences of such non conformance, geo referenced smart card linked to filing EM-2 shall be made a mandatory instrument for availing incentives. These cards shall be made by empanelled agencies on a chargeable basis on PPP mode. The recent introduction of UAM (Udyog Aadhar Memorandum) by Ministry of MSME can also be adopted for this purpose.

10. Implementation and Monitoring:-

Since, majority of units to be impacted by this policy are located within Municipal limits in different towns of the State, for effective implementation of the policy for relocation of the Industry already running in residential area of the District, a committee under the chairmanship of Commissioner, Municipal Corporation and where Municipal Corporation is not existing of Deputy Commissioner will be constituted with the following members:-

1.	Commissioner, Municipal Corporation/ Deputy Commissioner	Chairman
2.	District Town Planner of the concerned District	Member
3.	Estate Officer , HUDA of the concerned District	Member
4.	Estate Officer of HSIIDC of the concerned District.	Member

5.	Secretary, Municipal Committee of the concerned District	Member
6.	RO, Pollution Control Board of the concerned District.	Member
7.	Joint/Deputy Director/ DIC of the concerned District.	Member Secretary

10.1 A Monitoring mechanism shall be put in place to ensure that the re-location policy is implemented in the letter and spirit.

11. Revoking earlier permissions:-

All other permissions, licenses, consents for the purpose of the manufacturing/conducting business for the Red and Orange units shall stand revoked from the respective dates of end of the period mentioned in para 8.5.1 and 8.5.2 begining from the date of notification of this policy.

12. House Hold Industry:-

The traditional house hold industry that has been operating from the residential areas of the old towns, within the MC limits shall be permitted to operate. The same shall however, not be applicable to HUDA and other planned and approved residential colonies as these are governed by their own Acts, Rules and Bylaws. A list of house hold Industries and showing the permissible activities and the negative list of Industries is enclosed herewith.

Annexure-A

Draft Relocation Policy	Comments of the concerned department	Comments of the Industries Department.
Labour Department's, Rules pertaining to Registration and Licensing of Factories.	**LABOUR DEPARTMENT, HARYANA** It is submitted that under the Factories Act, 1948, the location of a factory in a residential area is objectionable because of the inherent risk and accordingly under Section 6(1)(aa) of the said Act read with Rule 3 of the rules there under, it is mandatory to obtain the prior permission in writing of the State Government or the Chief Inspector, for the site on which the factory is to be situated. The relevant part of the rule is reproduced below for convenience:- **Section-6 (1) "Approval, Licensing and Registration of Factories,-** **(1) The State Government may make rules,-** **(aa) requiring, the previous permission in writing of the State Government or the Chief Inspector for the site on which the factory is to be situated and for the construction or extension of any factory or class or description of factories.** **Rule-3[Submission of Plans of Factories [Section 6(1)]** **The State Government or the Chief Inspector may require, for the purposes of the Act submission on the date of commencement of the Act or which has not been constructed or extended since then.** In view of the provisions of law stated above, the department allows the registration and licensing of factory only on production of NOC/CLU/Allotment of Land from the competent authority (Local Authority). Therefore, the department is very much in agreement with the provision in the draft policy that the industries in the residential areas should be shifted in a structured manner to ensure compliance of the law.	The Labour Department is in agreement with the provisions of the Relocation Policy.
Chapter 10.1 of the Proposed Relocation Policy.	**HARYANA URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY (HUDA);** It is intimated that this office has already informed to your office *vide* this office memo No.A-4 (VKS)-UB-2015/13058 dated 13.07.2015 that this office agrees with the provisions made in the draft policy as the matter mainly pertains to ULB and Town & Country Planning Departments. Besides, in the draft policy under chapter 10.1 it has already been mentioned that no other activity be permitted in HUDA sectors other than that allowed in the HUDA Act.	HUDA is in concurrence with the provisions of the relocation Policy.
Chapter-10-Regulation of Clusters of Industrial Concentration in Controlled Areas.	**URBAN LOCAL BODIES, HARYANA;** The Draft Relocation Policy has been examined. This department agrees with the proposals made in the draft policy.	**-No Comments-**

Draft Relocation Policy	Comments of the concerned department	Comments of the Industries Department.
Chapter 8.3 Industry that manufacturers for the consumption of the immediate local area may continue to operate no solid fuel is used.	**TOWN AND COUNTRY PLANNING** Industry that manufacturers for the consumption of the immediate local area (only local service industries like Atta Chakki, Bakery, Vehicle repairing shop) may continue to operate, provided no solid fuel is used.	The comment is in agreement with the provisions of the proposed relocation policy and its exhaustive list of house hold**.**
Chapter 10.1 **Regularization of clusters of Industrial Concentration in controlled areas:-** Cluster of industrial concentration in controlled area pockets having more than 70% plots within the cluster under industrial activity/use shall be considered for regularization on the basis of actual surveys after review of the development plans by following the due procedure prescribed under the act. The due diligence and process followed before reviewing the development plan by inviting comments from the general public on the draft need to be followed scrupulously in such a situation before modifying and revising the development plan.	This Department is not agreed with the suggestions that where 70% industries are located in the residential sectors, they should be declared as industrial zone. Even during the discussion in a meeting held on 07.05.2015, it was clearly pointed out by the DGTCP that proposal for declaring industrial zone is not feasible because the residents who have constructed their dwelling units and living in the same shall file objections and may even go to Court because they have constructed their house in the declared residential colony/area.	This suggestion can not be considered in Draft Policy as it will lead to an un feasible, large scale relocation.
Chapter 10.2: The categorization for the purposes of relocation is being done for factories (Manufacturing Industries) only a. Red Category industries- to be shifted with immediate effect. b. Orange Category industries- to be	The categorization can only be done as per statutory provisions contained in the Zoning Regulations published alongwith the Development Plan which classifies the industries as Local Service Industry, Light Industry, Medium and Large Scale Industry. Similarly, it is wrong to say that there is no concept of Hazardous and Dangerously Polluting Industries. The term 'Obnoxious and Hazardous' has been duly defined in the Zoning Regulations which is as under:-	Reference is made to the e-mail of the Sr. Scientific Advisor HSPCB to the PSI, dated 9 July, 2015 5:40:25 pm, Para 3 and Line 1&2, Clearly mention (Verbatim) 'There is no concept of categorization of industries as 'Hazardous' or 'dangerously polluting industries' under the provisions of Environment Laws'. However, they go on to qualify the statement.

Draft Relocation Policy	Comments of the concerned department	Comments of the Industries Department.
shifted with immediate effect as in case of red category but if theses unit comply with Pollution Control Norm, then they may be given two years of time to shift to conforming area. c. Green Category industries- these unit may continue after taking due consent of the Pollution Control Deptt. d. Household Hold/Units: Attached list of manufacturing activities can continue in residential areas provided they are not operating from HUDA sectors or other planned residential areas.	**Obnoxious or Hazardous Industry** means an industry set up with the permission of the Government and is highly capital intensive associated with such features as excessive smoke, noise, vibration, stench, unpleasant or injurious affluent, explosive, inflammable material etc. and other hazards to the health and safety of the community. The word dangerously polluting industry is also covered within the meaning of the hazardous industry. The word used is “cluster of industrialist concentration in controlled area pocket having more than 70% plots.” This aspect is not clear. The plot may be of different sizes. In fact, instead of plot, the area of industrial units should be taken into consideration even if the Urban Local Bodies Department considers to regularize such industrial units in the residential areas. The Department impres imress impresses that ground truthing of all industries be carried out first before bringing any policy. Actually, the Government of Haryana in Industries Department is rewarding Impresses that ground truthing of all industries be carried out first before bringing any policy. Actually, the Government of Haryana in Industries Department is rewarding the violators who have not obtained any CLU permission nor the permission from Government and proposing to regularize the Industries. This Department is also of the opinion that it may not be feasible to prepare the regularization/re-development scheme by the concerned SPV (to be formed by the owners).	The definition is ambiguous and does not help in categorization in industries for the purpose of formulating the Policy. This suggestion is accepted, that a detailed ground truthing exercise be conducted. The SPV as a stake holder should be an active participant in the process of formulating scheme of regularization/re-development which will be prepared by concerned Municipal Corporation/ Committee.

Draft Relocation Policy	Comments of the concerned department	Comments of the Industries Department.
11.1- Future plan and prescription:- • To take specific measures to encourage cluster based industrial infrastructure. • Pollution norms shall be strictly enforced in the residential areas. Zero tolerance to be enforced for effluent, air and noise pollution. • In order to prevent re-occurrence of such non conformance, geo referenced smart card linked to filing EM-2 shall be made mandatory instrument for availing incentives. These cards shall be made by empanelled agencies on a chargeable basis on PPP mode.	It may be difficult to make it mandatory requirement for having geo referenced smart card linked to filing EM-2 for availing incentives by the industrial units, though it would be appreciable to take specific measures for preventing cluster of industrial units being operated in the residential areas.	In view of introduction of UAM by Ministry of MSME the same can be made mandatory in the State.
11.2 House Hold Industry: The traditional house hold industry that has been operating from the residential areas of the old towns, with the MC limits shall be permitted to operate. The same shall however not be applicable to HUDA and other planned and approved residential colonies.	It is informed that the Department considers “approved residential colonies” as colonies established by private colonizers under Haryana Development and Regulation of Urban Area Act, 1975 and Rules, 1976. The Department as already mentioned considers Local Service Industry as a permissible activity in the residential sectors to meet the local requirement of the area. This office grants CLU permission for setting up of Local Service Industry in residential zone.	The department is in agreement with the provisions of the proposed relocation policy and its exhaustive list of 122 house hold industries.
	HARYANA STATE POLLUTION CONTROL BOARD; i) As per consent policy notification of the Board issued on 15-4-2014, Board has already decided that no permission can be granted to the units located in already decided that no permission can be granted to the units located in Municipal Areas/ HUDA areas. TP schemes of the committee or any other approved residential area/colony. The Board is granting the	This suggestions can be accepted.

Draft Relocation Policy	Comments of the concerned department	Comments of the Industries Department.
	various permissions in the form of Consent to Establish, consent to Operate, Authorization and Registration to various industries/projects under Water Act, 1974, Air Act, 1981 Hazardous Waste (MH&TM) Rules, 2008, Plastic Waste (M&H) Rules, 2011, E-Waste (M&H) Rules, 2011, Bio Medical Waste (M&H) Rules, 1998 as applicable. The board has categorized the industrial units and other projects under Red, Orange and Green category as highly polluting, polluting and less polluting units depending upon the their pollution potential. Only Red and Orange category of projects has been covered under consent management whereas the green category of the projects have been exempted from consent management subject to provisions of pollution control devices where ever required by green category projects depending upon their process and their activities and are governed by self regulatory regime.	
	ii) In the draft policy under clause 10.2, it has been proposed that the green category of industries will not be shifted and continue to operate at the present sites after finalization and notification of the policy. Only non hazardous and non-noxious industries having clearance from Pollution Control Board shall be permitted to operate from these locations. In Chapter 7.1 of the draft policy, it has been mentioned that as per survey of Haryana Industries conducted during 2011-13, there are approximately 70,000 industrial units in Haryana out of which 45% units operating form non confirming area and some of which are in residential zone. Rough industries estimates peg this figure as nearly 2 to 3 times more. From the above data it is clear that the large number of industries are operating in non confirming/ residential areas that would also be including the large no. of green category of projects and in case the green category projects are included under consent management then it would be very difficult to handle such a large no. of cases of consent to establish/consent to operate. It is suggested that this provision of including the green category projects under consent management may be waived off from the policy however these type of units will be governed by self regulatory regime as per present policy.	This suggestions can be accepted.
	iii) It is pertinent to mention here that the Central Pollution Control Board is in the process of revisiting the categorization of industries based on pollution index criteria and environmental issues such as generation of emissions, effluent and hazardous waste and the categorization will be done on the basis of composite scores 90 to 1000 marks) of pollution index which has been proposed as under:- • Type of industries, if scores 60 and above be categorized as Red. • Type of industries, if scores 30 to 59 be categorized as Orange.	

Draft Relocation Policy	Comments of the concerned department	Comments of the Industries Department.
	• Type of industries, if scores 15 to 99 be categorized as Green. • Type of industries, if less than 15 be categorized as non-polluting industry (as white) It is suggested that the above categorization of industries/ projects may also be considered while framing the relocation policy and only white category of projects to be finalized by CPCB, may be considered to operate at the present locations subject to compliance of norms/standards w.r.t. noise prescribed under EPA, Rules, 1986 and not to discharge any other pollutant. iv) In the draft policy there is no specific mention of units/installations handling and storing the hazardous chemical as defined in the manufacture, storage and import of Hazardous Chemical Rules, 1989 and Chemical Accident Rules, 1996. This type of installations in any residential or commercial or mixed area is very dangerous and prone to chemical disaster and accidents. It is suggested that this type of units/installation handling with hazardous chemicals and listed in the above said rules may not be allowed to operate in any residential or commercial or mixed area and should be shifted to remote areas.	This suggestions can be accepted.

Classification of Industries (House Hold)

GROUP - A

1	Agarbatti and similar products.
2	Aluminium hanger (excluding wire drawing and anodizing).
3	Ayurvedic / Homoeopathic/Unani medicines.
4	Assembly and repair of electrical gadgets.
5	Assembly and repair of electronic goods.
6	Assembly and repair of sewing machines.
7	Assembly of hand tools.
8	Assembly of Badminton shuttle cocks.
9	Assembly and repair of electrical gadgets, cooler/heater etc.
10	Assembly and repair of sewing machines.
11	Assembly and repair of typewriter (excluding Font Casting).
12	Assembly of Bakelite Switches.
13	Assembly and repair of measuring instruments (excluding handling of Mercury and hazardous materials).
14	Atta Chakkies.
15	Batik works.
16	Block making and photo enlarging.
17	Biscuit, pappey, cakes and cookies making.
18	Button making, fixing of button and hooks.
19	Book binding.
20	Brushes and brooms (by hand).
21	Calico and Textile products.
22	Cane and bamboo products.
23	Cassettes recording.
24	Clay and modelling.
25	Coir and jute products.
26	Cardboard boxes.
27	Candles.
28	Copper and brass art wares.
29	Cordage, rope and twine making.
30	Carpentary.
31	Clay and Modelling with Plaster of Paris.
32	Contact Lens.
33	Canvas bags and holdalls making.
34	Candles, sweets, rasmalai etc. (when not canned).

35	Cotton/silk printing (by hand).
36	Computer repairing and cyber information centre
37	Computer Software
38	Dari and carpet weaving.
39	Detergent (without bhatti).
40	Data processing.
41	Dairy products e.g. Cream, ghee, paneer, etc.
42	Dry Cleaning (excluding big workshops)
43	Desk Top Publishing.
44	Embroidery.
45	Enameling Vitreous (without use of coal).
46	Framing of pictures and mirrors.
47	Fountain pens, ball pens and felt pens.
48	Gold and Silver thread, kalabattu.
49	Hosiery products (without dyeing and bleaching).
50	Hats, caps, turbans including embroideries.
51	Ivory carving.
52	Ink making for fountain pens.
53	Information Technology and enabling services.
54	Interlocking and buttoning.
55	Jewellery items.
56	Khadi and handloom.
57	Khus tattis.
58	Knitting works.
59	Lace products.
60	Leather footwear.
61	Leather belts and assembly of buckles (by hand).
62	Leather and rexine made ups.
63	Milk Cream Separation.
64	Manufacture of Jute products.
65	Manufacture of Bindi.
66	Name plate making.
67	Production of following items.
i	Blanco cakes.
ii	Brushes.
iii	Kulfi and confectionery.
iv	Crayons.

v	Jam, jellies and fruit preserves.
vi	Musical instruments (including repairs).
vii	Lace work and like.
viii	Ornamental leather goods like purses, hand bags.
ix	Small electronic components.
68	Paper stationery items and book binding.
69	Pith hat, garlands of flowers and pitch.
70	P.V.C. products (with one moulding machine).
71	Paper machine.
72	Perfumery and cosmetics
73	Photosetting.
74	Photostat and cyclostyling.
75	Photo copying of drawings including enlargement of drawings and designs.
76	Packaging of Shampoos.
77	Packaging of Hair Oil.
78	Preparation of Vadi, Papad etc.
79	Processing of condiments, spices, groundnuts and dal etc.
80	Pan masala.
81	Production of Sweets and namkeens.
82	Paper Mache.
83	Paper cup. Plates, files cover and letter pads (without printing).
84	Photography (developing and printing).
85	Repair of watches and clocks.
86	Rakhee making.
87	Repair of domestic electrical appliances.
88	Readymade garments.
89	Repair of bicycles.
90	Repair and assembly of computer hardware.
91	Repair of bags, brief cases, suitcases, except use of leather and PVC material.
92	Repairing of Water meters, stabilizer, UPS, etc.
93	Repair of electronic goods.
94	Rubber Stamps.
95	Repair of Scooters.
96	Stone engraving.
97	Sports goods.
98	Surgical bandage rolling and cutting.
99	Stove pipe, safety pins and aluminium buttons (by hand press).

100	Silver foil making.
101	Saree fall making.
102	Shoe laces.
103	Sport nets.
104	Stamp pads.
105	Screen Printing.
106	Tailoring.
107	Thread balls and cotton fillings.
108	Toys and dolls.
109	Ties.
110	Tomato Ketchup.
111	Umbrella assembly.
112	Utensil washing powder (only mixing and packaging).
113	Velvet embroidered shoes/shawls.
114	Vermicelli and macaroni.
115	Wood carving and decorative wood wares.
116	Wool balling and lachee making.
117	Wooden/cardboard jewellery boxes (subject to no objection certificate from the department).
118	Wool knitting (with machine).
119	Zari Zardozi.
120	Wooden/cardboard jewellery boxes (subject to no objection certificate from the department).
121	Wool knitting (with machine).
122	Zari Zardozi.

Household Industries

GROUP A - 1

Household Industries in Villages (Abadi) in Green Belt

1. Black smithy
2. Cane and bamboo products
3. Clay and modelling with Plaster of Paris
4. Dari/Carpet/Sari weaving (except dying & bleaching)
5. Stone engraving
6. Village pottery Industry (without bhatti)
7. Village oil ghani
8. Wood carving and decorative and wood wares.

None of the industries mentioned in Group A and A-1 shall carry out the following processes:

i) Anodising
ii) Bleaching
iii) Burning of coal
iv) Canning Facility
v) Dyeing
vi) Electroplating
vii) Moulding works
viii) Use of CFC gases
ix) Varnishing
x) Washing
    i) Storing of chemicals listed under schedule I and/ or II of the Manufacture, Storage and import of hazardous Chemical Rules, 1989 and Public Liability Insurance Act, 1990 shall be prohibited.
    ii) No effluent/ emissions shall be allowed to be generated by the units and these shall adhere to the noise standards as stipulated by Ministry of Environment and Forest, Government of India.

Prohibited (Negative List)

Industries manufacturing the following shall be prohibited within the residential areas.

1	Arc/induction furnace of more than 3 tons per charge
2	Acids
3	Alkalis
4	Animal & fish oils
5	Aldehydes
6	Acid slurry
7	Acetylides, phridines, iodoform, chloroform, E-nepthol, etc.
8	Ammonium sulphoajanide, arsenic and its compounds, barium carbonate, barium cyanide, barium ethyle sulphate, barium acetate cinnabar, copper sulphocyanide, ferrocyanide, hydro cyanide, hydro cyanic acid, potassium biocalate, potassium, cyanide, prussiate of potash, phynigallc acid, silver cyanide.
9	Aircraft building.
10	Abattoirs, animal blood processing.(except existing and relocation)
11	Bitumen blowing (hot)
12	Brick kiln (using fresh earth as raw material, coal as fuel)
13	B-nepthol
14	Bakelite powder (starting from formaldehyde)
15	Barely malt and extract
16	Bone-grist, bone-meal, salting of bones, storages of bones in open, bone drying
17	Bone charcoal manufacturing
18	Blast furnaces – coal fired
19	Bicycles (integrated plant)
20	Brewery and potable spirits
21	Chlorinated paraffin wax purification
22	Carbon black
23	Cement industry
24	Calcium carbide, phosphorous, aluminum dust paste and powder, copper, zinc, etc. (electrothermal industries)
25	Cranes, hoists and lifts (excluding assembly)
26	General industrial machinery (such as hydraulic equipments, drilling equipments, boilers, etc.)
27	DOP (Dioctyl Phthalate), DBP & Plasticizer
28	Dry cell battery
29	Dye & dye intermediates
30	Distillation of wood, chemical seasoning of wood (excluding steam seasoning)
31	Explosives, i.e., Fireworks, Gunpowder, Guncotton, etc.
32	Earth moving machinery/equipment (manufacturing of assembly)
33	Electric wires and cables (more than 100 workers, 2000 sq.m land)
34	Fatty acids
35	Fungicides & pesticides
36	Flexographic ink
37	Fuel oils, illuminating oils and other oils such as stchetic oil, shoal oil, lubricants
38	Foundries (heavy)
39	Gas compressors
40	Graphite production

41	Glass furnace (more than 1 ton/day capacity)
42	Gases-carbon-disulphide, ultramarine blue, chlorine, hydrogen, sulphur dioxide, acetylene, etc. (other than LPG/CNG/Oxygen/medical gases)
43	Glandular/glandes extraction
44	Glue and gelatine from bones and flesh
45	Hot mix plant (except those approved by DPCC / CPCB)
46	Hazardous waste processing viz. hospital/medical/industrial waste
47	Polyurethene foam
48	Industrial gelatine, nitro glycerine and fulminate
49	Iron/steel metal forging (using steam and power harmmer – more than 3 tonnes capacity)
50	Industrial gelatine, nitro glycerine and fulminate
51	Industrial trucks, trailers, etc.
52	Linear alkyd benzene
53	Lead manufacturing including secondary lead industry (recovery of lead from waste scrap)
54	Lime kiln
55	Leather tanning (raw hides/skins to semi finish)
56	Locomotives and wagons
57	Methanol
58	Methylated spirit
59	Mechanical stone crushers & washing of coarse sand
60	Manufacturing of pulp & paper
61	Melamine resin
62	Mineral salts (which involve use of acids: CuSO4, FESO4, alum, etc.)
63	Manufacturing of diesel engines, generators except assembly
64	Motor cycles, scooters, cars, tempos, trucks, etc.
65	Newsprint
66	News print manufacturing, pulping, fresh paper making
67	Nitrogeneors and phosphatic fertilizers, except mixing of fertilizers for compounding (large scale)
68	Organic solvent, chlorinated minerals, methanol, aldehydes, methylated spirits
69	Petroleum coke processing, not as fuel
70	Potteries/refractories (using coal or furnace oil)
71	Polyethylene polymers including resins
72	Paint industry (nitro Cellulose & Alkyd resin based)
73	Plasticisers manufacturing
74	Pyridines
75	Phenol formaldehyde resin and powder (starting from urea and formaldehyde)
76	Porcelain product potteries (using coal of production capacity more than 2 tonne per day)
77	Rubber solution and thinner (using naptha and rubber scrap)
78	Roasting of Ore Sulphide Oxides of mixtures
79	Rayon fibre manufacturing
80	Refractories
81	Reclamation of rubber and production of tyres and tubes (devulcanisation)
82	Saccharine
83	Secondary Zine industry
84	Synthetic rubber

85	Smelting
86	Sewing machines (integrated units) except assembly
87	Sluice gates and gears
88	Steam engines
89	Steel pipes and tubes (continuous welded/seamless)
90	Sugar, khand sari
91	Sodium silicatc industry (more than 1 tonne/day)
92	Stone quarrying
93	Textile (more than 100 workers in all shifts, I acre of land, 100 LKD of water)
94	Thorium, radium and similar isotopes and recovery of rare earth
95	Turbines
96	Urea & Phenyl Formaldehyde resin
97	Vegetable oil hydrogenerated
98	Waste (crude / burnt) oil processing

(Refinery) Notes:

i) A public utility service involving any of the activities referred to above shall be permitted subject to environmental laws.

ii) Further additions /alterations to the list of Prohibited Industries could be made if considered appropriate and in public interest by the State Government to do so.

ANIL KUMAR,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 जुलाई, 2016

संख्या 18/102/2016–3क1.— हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24) की धारा 24 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा प्रधान के रूप में श्री राजगोपाल पुत्र श्री उद्यभान, पार्षद, वार्ड नं0 17, नगर परिषद, होडल का नाम अधिसूचित करते हैं।

अनिल कुमार,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 20th July, 2016

No. 18/102/2016-3C1.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and (2) of Section 24 of the Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby notifies the name of Sh. Raj Gopal S/o Sh. Udhya Bhan, Member, Ward No. 17, Hodal as President of Municipal Council, Hodal, District- Palwal.

ANIL KUMAR,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 जुलाई, 2016

संख्या 18/101/2016–3क1.— हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24) की धारा 24 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा प्रधान के रूप में श्रीमती इन्दु पत्नी श्री रविचन्द शर्मा, पार्षद, वार्ड नं0 17, नगर परिषद, पलवल का नाम अधिसूचित करते हैं।

अनिल कुमार,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 20th July, 2016

No. 18/101/2016-3C1.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and (2) of Section 24 of the Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby notifies the name of Smt. Indu W/o Sh. Ravi Chand Sharma, Member, Ward No. 17, Palwal as President of Municipal Council, Palwal, District- Palwal.

ANIL KUMAR,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

HARYANA GOVERNMENT

HARYANA STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

Notification

The 20th July, 2016

No. MS/HALSA/2016/9459(18).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 11-A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Central Act No. 37 of 1987), as amended by the Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (Central Act No. 59 of 1994), Notification No. MS/HSLSA/1(18) dated 18.12.1997 issued by Haryana State Legal Services Authority constituting Sub-Divisional Legal Services Committees is hereby amended to read as follows:

Amendment

In Haryana State Legal Services Authority Notification No.MS/HSLSA/1(18) dated 18.12.1997:-

(i) In Serial No. 7 after Kurukshetra a.Pehowa the following entry shall be added:

7. Kurukshetra District

(a) Pehowa

(b) **Shahabad**

By order of
Haryana State Legal Services Authority.

VIKRAM AGGARWAL,
Member Secretary,
Haryana State Legal Services Authority,
Panchkula.

54474—C.S.—H.G.P.,Chd.